# जलग्रहण मिशन एवं ग्राम विकास कार्यक्रम

**प्रायोजक- ग्रामीणविकास मंत्रालय एवं GIZ**

**क्रियान्वन संस्थान- समर्थन**

# जलग्रहण समिति सदस्यों का प्रशिक्षण

समेकित ग्राम विकास से तात्पर्य समग्र ग्रामविकास से है

- सिंचाई
- पेयजल
- पाशुधन
- कृषि
- आजीविका

# जलग्रहण समिति गठन प्रकिर्या

## 1.समिति गठन की मापदंड एवं प्रकिर्या-

- वार्ड मोहल्ला के प्रतिनिधियों का समिति में समावेश
- मतदाता सूचि में नाम होना अनिवार्य
- समिति में सदस्यों की संख्या १०-२०
- ३० प्रतिशत महिलाओं की भागीदारी
- सर्वसम्मति से सदस्यों का चयन
- समिति में सभी समुदाय की भागीदारी होना
- आमसभा कर सर्वसम्मति से सदस्यों का चयन एवं ग्रामसभा में अनुमोदन

# समिति का दायित्व

- जलग्रहण एवं ग्राम विकास सदस्यों द्वारा माह में नियमित बैठक का आयोजन करना
- बैठक में ग्रामीणों की भागीदारी सुनिश्चित करने में सहयोग करना
- वर्ष में कम से कम दो बार आमसभा का आयोजन करना ( खरीफ मौसम के पहले एवं रबी के पहले )
- कार्य योजना तैयार करना एवं व्यवस्थित कर सुचारू संचालन हेतु सक्रिय सहयोग करना एवं ग्राम सभा में अनुमोदन करना
- कार्य योजना का सक्रिय निष्पादन करने में पूर्ण सहयोग देना
- कार्य की गुणवत्ता हेतु समय-समय पैर सुझाव देना
- गरीब,विधवा / परितक्यता एवं विकलांग को प्राथमिकता के अधर पर गतिविधियों में शामिल करना
- समिति से सम्बंधित सभी प्रकार के कार्यों / अभिलेखों का संधारण करना
- समिति द्वारा निर्माण कार्य का निगरानी एवं मूल्यांकन कर सामाजिक अंकेक्षण कराना

# समिति संचालन हेतु नियमावली

- सर्वसम्मति से बैठक का आयोजन माह में एक बार किया जाना चाहिए एवं आवश्यकता अनुसार कभी भी किया जा सकता है I
- सभी सदस्यों का उपस्थित अनिवार्य है I
- किसी सदस्य की लगातार 3 बार अनुपस्थिति रहने पर उसके स्थान पर नये सदस्य को समिति में सम्मिलित किया जा सकता हैI
- समिति के बैठक का स्थान सर्वसम्मति से तय किया जाना चाहिए I
- विकास कार्यो के संचालन हेतु निर्णय सभी सदस्यों के सहयोग से लिया जाना चाहिए I
- भविष्य में किये जाने वाले कार्यो हेतु निर्णय सभी सदस्यों द्वारा किया जायेगा I
- पंचायत के विकास कार्यो में सहयोग प्रदान किया जाना चाहिए I
- कृषि उत्पादन वृद्धि, आजीविका सर्वधन, शिक्षा एवं स्वच्छता के कार्यो को करने हेतु लोगो की समिति द्वारा प्रेरित किया जाना जाएगा I

# कार्यक्रम अंतर्गत प्रस्तावित गतिविधियों

1. प्राकृतिक संसाधनों का प्रबंधन
   - वृक्षा – रोपण
   - तालाब सफाई गहरीकरण एवं सौंदरीकरण
   - सामूहिक डबरी निर्माण (पुराना एवं नया )
   - चेक डेम निर्माण
2. आजीविका विकास कार्यक्रम
   - झाड़ू, दोना पत्तल, अगरबत्ती, मोमबत्ती तथा साबुन व सर्फ़, बनाने का प्रशिक्षण
   - आचार, बड़ी, पापड़ एवं बेकरी का उत्पादन प्रशिक्षण
   - बांस कारीगिरी / शिल्प एवं हस्तकला प्रशिक्षण
   - बकरी, मुर्गी एवं गाय भैंस पालन

3. रोजगार हेतु कौशल विकास क्षमता को बढाना
4. उधमिता विकास कार्यक्रम
   . स्वयं सहायता समुह के माध्यम से व्यपार प्रतिष्ठान का बढ़ावा
   . कृषि उपकरणों का संसाधन केन्द्र
   . नर्सरी उधमियता
   . पोषण संबंधी बागवानी
5. शिक्षा विकास
6. सामाजिक विकास
7. कृषि विकास
   . बायोगैस संयंत्र
   . आजोला घास
   . केचुआ खाद का निर्माण
   . जैविक कृषि
   . खेत तालाब का निर्माण
   . मेड़ बंधान
   . टपक एवं फव्वारा सिंचाई
   . प्रमाणित बीज उपचारण
8. स्वच्छता एवं स्वास्थ्य विकास
   . दिवाल पेंटिग माध्यम से जागरूक करना
   . चलचित्रण प्रदर्शन माध्यम से जागरूक करना

# सिंचाई एवं जल प्रबंध

- फसलों के सफल उत्पादन हेतु कृत्रिम रूप से जल पहुचाने की क्रिया को सिंचाई कहते है I
- सिंचाई में पौधों की जल मांग वर्षा के अतिरिक्त कृत्रिम ढंग से पानी देना होता है I
- फसलों की जल मांग – फसल की बुआई से लेकर फसल के कटाई ताल जितने जल की आवश्यकता होती है I वह फसल की जल मांग कहलाती है I
- प्रदेश की वर्षा औसत 120 से.मी. हैI वर्षा का एक तिहाई हिस्सा ही फसल उपयोग का होता है I इस प्रकार वर्षा द्वारा कुल जल उपलब्ध 120x 1/3= 40 से.मी.
- यदि हम दो मौसम की फसलों की जल मांग पर ध्यान दे तो

  खरीफ फसलों की जल मांग – 60 से.मी.

  रबी फसलों की जल मांग – 40 से.मी.

  कुल - 100 से.मी.
- अर्थात खेत में दो फसलों को बोने पर 100 से.मी. गहरे जल का खर्चा है I जिसमे से केवल 40 से.मी जल ही वर्षा द्वारा पूरा होता है I शेष 100 – 40 = 60 से.मी. हमको सिंचाई के द्वारा आवश्यकता होगी I